न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
81/प्रा0पत्र/2016	16.12.2016	23.09.2019

कन्हैया लाल उर्फ पप्पू आ0 हरदेव जाति मीणा निवासी देवरी माता का झोपडा बरुंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...प्रार्थी

बनाम

1. माधो पुत्र हरदेव जाति मीणा निवासी ग्राम देवरी माता बरुंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी
2. राम लाल पुत्र हरदेव जाति मीणा निवासी ग्राम देवरी माता बरुंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी
3. सुन्दर बाई पुत्री हरदेव जाति मीणा निवासी ग्राम देवरी माता बरुंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0) (डिलीट)
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.........अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ताप्रार्थीः– श्री अनिल खेडीया
अधिवक्ता अप्रार्थीगणः–

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये किः–

1 यह कि प्रार्थी का गांव मे बोलता का नाम पप्पू है। तथा अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात मे कन्हैया लाल आ0 हरदेव जाति मीणा निवासी देवरी माता का झोंपडा बरुंधन अंकित है।

2 यह कि प्राथी के माता–पिता के देहान्त के उपरान्त प्रार्थी के नाम खाता संख्या नई 523 व पुरानी 503 खसरा संख्या 147 देवरी माता वाला, 1100 चित्तोडिया, 1103 जो वाके ग्राम बंरुधन मे विस्थित है। मे प्रार्थी का नाम इन्द्राज करते वक्त बोलता नाम पप्पू शामलाती खाते मे सहखातेदारान के साथ लिख दिया गया था। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र मे सहखातेदारान को भी पक्षकार बनाया गया है तथा अन्य दस्तावेज मे प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल अकिंत होने से प्रार्थी को कई प्रकार की सरकारी सहायता लेने एंव कई कार्यो मे नाम की वजह से दिक्कत आ रही है।

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

3 यह कि प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमांबदी, आधार कार्ड, सरपंच प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र व प्रार्थी के माता–पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।

4 यह कि यदि प्रार्थी का नाम इन्द्राज मे दुरुस्त नही किया गया तो प्रार्थी को भविष्य मे कई प्रकार की कठिनाइयॉ आने की सम्भावना है।

5 यह कि प्रार्थी की भूमि ग्राम बरूधंन मे होने से श्रीमान के श्रवणाधिकार मे है। तथा प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस व तलवाना पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का नाम इन्द्राज मे दुरुस्त करवाये जाने के आदेश फरमावे।

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया। जवाब पैरोकार सरकार ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी पप्पू आ0 हरदेव जाति मीणा को दूसरे नाम कन्हैया लाल आ0 हरदेव के नाम से भी जाना जाता है।

साक्ष्य में पार्थी की ओर से नकल जमाबन्दी खाता सं0 523 ग्राम बरूधंन संवत् 2072–75, कन्हैया लाल का आधार कार्ड, ग्राम पंचायत तालेडा का प्रमाण पत्र, कन्हैया लाल का मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, रामकंवरी का मृत्यु प्रमाण पत्र, हरदेव मीणा का मृत्यु प्रमाण पत्र, सुन्दर बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट की प्रतियाँ पेश की।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी खाता सं0 523 ग्राम बरूधंन संवत् 2072–75 में प्रार्थी नाम पप्पू आ0 हरदेव 1/4 हिस्सा अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज रिकार्ड है, अन्य दस्तावेजात कन्हैया लाल का आधार कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत तालेडा का प्रमाण पत्र, कन्हैया लाल का मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, तहसीलदार रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का शुद्ध नाम कन्हैया लाल आ0 हरदेव होना पाया जाता है। उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि नकल जमाबन्दी खाता सं0 523 ग्राम बरूधंन संवत् 2072–75 में प्रार्थी का नाम पप्पू हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम पप्पू उर्फ कन्हैया लाल आ0 हरदेव दर्ज रिकार्ड किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner